न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री धीरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 06/2016

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. उदाराम पुत्र हरींगाराम 2. जगदीश पुत्र श्रीराम 3. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम 4. केवलाराम पुत्र श्रीराम 5. हरखूदेवी पत्नी श्रीराम जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना		1. सरपंच ग्राम पंचायत उड़ासर 2. पृथ्वीराज पुत्र सोनाराम 3. मगाराम पुत्र भाखराराम 4. सोहनराम पुत्र भाखराराम 5. मीरोदेवी पत्नी भाखराराम 6. हरू पत्नी रामूराम 7. भीयाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत, उड़ासर, नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965

तारीख रजू:—15.07.2016

अधिवक्ता:—

1. श्री हरीराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांटगण
2. श्री जगदीश विश्नोई, अधिवक्ता उतरदाता संख्या 02, 03, 05, 06, 07
3. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता उतरदाता संख्या 04

—: : निर्णय : :—

दिनांकः— 23.07.2024

अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीराम विश्नोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत, उड़ासर, नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 का पेश कर निवेदन किया कि अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :— अपीलाण्टगण एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम जम्भ शक्तिधाम पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमन्ना में खेत खसरा नम्बर 265 कुल रकबा 13.01 बीघा की भूमि आई हुई है जो अपीलान्टगण व उतरादाता संख्या 2 से 7 के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है जिस [illegible] 1/2 हिस्से पर अपीलान्टगण का व 1/2 हिस्सा पर उतरदाता संख्या 2 से 7 का कब्जा काश्त [illegible] जमाबंदी की फोटो प्रति साथ पेश है। अपीलान्ट व उत्तरदाता सं[illegible] खेराम स्वर्गवास वर्ष 1964 में हो गया था। खेराज के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदातागण संख्या 2 से 7 के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

रामू वल्द खेराज ने हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर मृतक खेराज का अकेले को वारिश बताकर नामान्तरकरण उत्तरदाता रामू वल्द खेराज अकेले के नाम से पारित करवा लिया जबकि अपीलान्ट के मुतवफ खेराज की मृत्यु के उसके विधिक वारिशान दो पुत्र अपीलान्ट के पूर्वज हरीगा व उतरदाता संख्या 2 से 7 के पूर्वज रामू थे तथा रामू व हरीगा दोनों सगे भाई थे तथा स्व. खेराज के जांयदा पुत्र थे जिस कारण खेराज की फौतगी का नामान्तरकरण रामू व हरीगा के संयुक्त नाम से पारित किया जाना था परन्तु उक्त खेराज की फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 58 अकेले उतरदाता संख्या 2 से 7 के पूर्वज रामू के अकेले के नाम से पारित करवा दिया, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्टगण के पूर्वज हरीगा को तथा हरीगा के फौत होन पर अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति होने जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 58 का ज्ञान अपीलान्टगण को सर्वप्रथम अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने जमाबंदी देख कर अपीलान्टगण का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त म्यूटशन की नकलें मांगी जो नकल दिनांक 03.06.2016 को प्राप्त होने पर अपीलान्टगण को उक्त विधि विरूद्ध तरीके से पारित नामान्तरकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। उक्त आदेश से असतुष्ट होकर अपीलान्टगण यह अपील आधारों पर प्रस्तुत कर रही है :– उतरदाता संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 58 स्व. खेराज के फौत होने पर गलत रूप से उतरदाता संख्या 2 से 7 के पूर्वज रामू अकेले के नाम पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जो म्यूटेशन आदेश निरस्त करने के काबिल है। अपीलान्टगण व उतरदातागण संख्या 2 से 7 का खानदानी सजरा (वंश वृक्ष) निम्नलिखित है

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

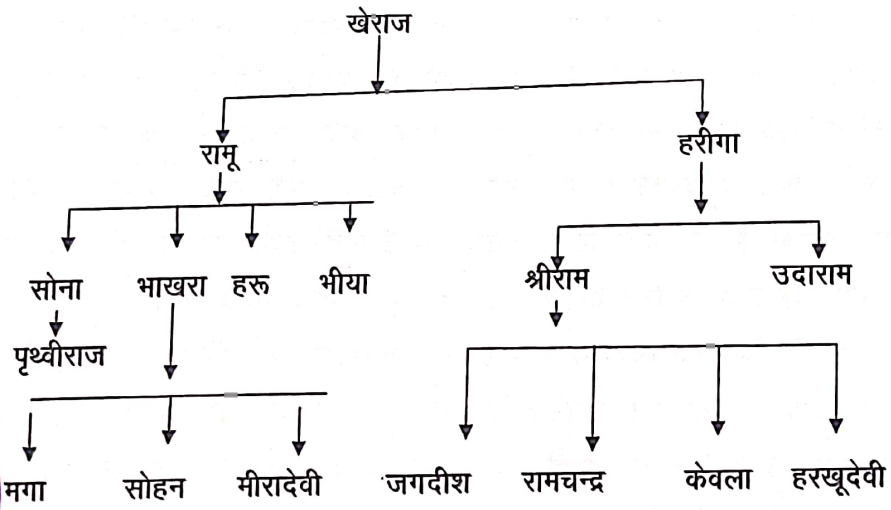

कि स्व. खेराज पुत्र जगराम फौत हो गये है, खेराज के [illegible] अपीलान्टगण के पूर्वज हरींगा एवं उतरदाताण संख्या 2 से 7 के पूर्वज [illegible] थे तथा [illegible] दोनों सगे भाई खेराज के जायंदा पुत्र थे। उक्त खानदानी सजरे (वंश वृक्ष) को ध्यान में [illegible] बिना उतरदाता संख्या 1 ने खेराज के फौत होने पर अपीलांटगण व उत्तरदाता संख्या 2 [illegible] का नाम फौतगी म्यूटेशन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज नहीं करने में भारी भूल की है जो म्यूटेशन आदेश निरस्त करने के काबिल है। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के मुतवकी खैराज के फौत होने पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 58 [illegible] कार्यवाही मात्र उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के मुतवफी रामू अकेले के पक्ष में खोल गई [illegible] समय खेराज के दो जांयदा पुत्र रामू व हरीगा थे तथा उक्त [illegible] भाई रामू व हरीगा के संयुक्त नाम से खोला जाकर स्वीकृत [illegible] था क्योंकि अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की [illegible] लुखु में खसरा नम्बर 60, 374, 472, 534, 533 कुल रकबा 290 बीघा का स्थित था जिस भूमि में खेराज की मृत्यु के समय नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 20.07.1964 को ग्राम पंचायत लुखू द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें अपीलान्टगण के पिता व उतदाता संख्या 2 से 7 के पिता दोनों के संयुक्त नाम से स्वीकृत किया गया तथा वर्तमान में उक्त भूमि अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है परन्तु वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 58 अकेले रामू के नाम से स्वीकृत किया गया है जो विधि विरुद्ध स्वीकृत किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।मौजा जम्भ शक्तिधाम पटवार क्षेत्र उड़ासर के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 1301 बीघा भूमि में अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के खेराज के खातेदारी की थी तथा खेराज के फौत होने के बाद उक्त भूमि में 1\2 हिस्से पर अपीलान्टगण का तथा 1\2 हिस्से पर उत्तरदाता संख्या 2 से 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत ने मौके की जांच किये बिना ही बेबुनियाद व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उतरदाता संख्या 1 ने म्यूटेशन पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त करने के काबिल है। उतरदाता संख्या 1 ने अपीलान्टमण के पूर्वज खेसज के कौत होने पर उक्त म्यूटेशन पारित करने से पूर्व न तो खेराज के करिसी की कोई जाच की और न ही अपीलान्टगण व उनके पिता हरीगा को कोई नोटिस ही दिया और न ही वादग्रस्त खसरे की भूमि का मौके का निरीक्षण ही किया और न ही अपीलान्टगण व उनके पिता को कोई सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्वान्तों की अवहेलना कर उत्तरदाता संख्या । द्वारा एकतरफा रूप से उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के पिता रामू नाम से म्यूटेशन पारित किया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य होने से निरस्त करने के काबिज है। उक्त म्यूटेशन पारित करने से पूर्व उतरदाता संख्या 1 ने न तो राजस्व नियमों की पालना की और न ही संबंधित उत्तरदातागण संख्या 2 से 7 से शपथ पत्र आदि ही प्राप्त किये। इस प्रकार एकतरफा कार्यवाही करके यह म्यूटेशन पारित किया गया होने से निरस्त करने के काबिल है।उक्त म्यूटेशन एकतरफा कार्यवाही करके पारित किया गया होने से एवं बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से और अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति होने की वजह से इतने समय तक उन्हें उक्त म्यूटेशन का कोई ज्ञान नहीं हुआ और नहीं म्यूटेशन पर अपीलान्टगण के पिता हरीगा का अगुष्ठ निशान है और न ही कार्यवाही में अपीलान्टगण के पिता हरीगा की उपस्थिति दर्ज कर अगुष्ठ निशान किया गया और न ही उत्तरदाता संख्या 1 की कार्यवाही में अपीलान्टगण या उनके पिता हरीगा के नाम नोटिस जारी करना दर्शाया गया है। इस कारण से इतने दिनों तक अपील पेश नहीं की जा सकी।

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्टगण के पूर्वज खेराज की मृत्यु पर पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 58 विधि विरूद्ध तरीके से खेराज के वारिशों की जांच किये बिना ही पारित किया गया है जो अपीलान्टगण के लिये प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है जिसे अपीलान्टगण निरस्त करवाने का अधिकारिणी है। उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 शुन्य एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण के पूर्वज हरीगा को तथा हरीगा के फौत होन पर अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति होने जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 58 का ज्ञान अपीलान्टगण को सर्वप्रथम अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने जमाबंदी देख कर अपीलान्टगण का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त म्यूटशन की नकलें मांगी जो नकल दिनांक 23.06.2016 को प्राप्त होने पर अपीलान्टगण को उक्त विधि विरुद्ध तरीके से पारित नामान्तरकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। जिसके विरूद्ध यह अपील ज्ञान की तिथि से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। फिर भी अपील पेश करने मे हुऐ सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 को निरस्त किया जावें तथा अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 2 से 7 को स्व. खेराज पुत्र जगराम की पैतृक भूमि राजस्व ग्राम जम्भ शक्तिधाम पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमन्ना में खेत खसरा नम्बर 265 कुल रकवा 13.01 बीघा में खेराज पुत्र जगराम के स्थान पर अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने एवं इसी अनुसार नया नामान्तरकरण अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के नाम पारित किया जाने का आदेश फरमाया जावें की पेश की गई।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक अपील नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 को ग्राम पंचायत उड़ासर द्वारा पारित किया के विरुद्ध धारा 75 आर एल आर एक्ट के तहत पेश की गई उक्त अपील म्यूटेशन की जानकारी से अन्दर म्याद पेश की गई परंतु म्यूटेशन पारित होने की तिथि से म्याद से बाहर होने से विलम्ब के समन हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट गण के पूर्वज हरीगा को तथा हरीगा के फौत होने पर अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तकरण संख्या 58 का ज्ञान अपीलान्टगण को सर्वप्रथ्र अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लोने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने जमाबन्दी रेख कर अपीलान्टगण का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त म्यूटेशन की नकलें मांगी जो नकल दिनांक 23.06.2016 को प्राप्त होने पर अपीलान्टगण को उक्त विधि विरूद्ध तरीके से पारित नामान्तकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिसके विरूद्ध यह पअील ज्ञान की तिथि से अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी हुई इस प्रकार विधि विरुद्ध व शून्य आदेश को निरस्त करवाने हेतु विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील पत्र अंदर म्याद शुमार की जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्टान को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया।

उत्तरदाता संख्या 02 पृथ्वीराज 06 हरूराम, 07 भीयाराम ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्टगण की अपील का एकबाली जबाब प्रस्तुत किया अपील के सभी तथ्य स्वीकार किया अपीलानटगण की अपील स्वीकार करने पर कोई विशेष आपत्ति पेश नहीं की गई। अपील स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई। व एक राजीनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

उत्तरदाता संख्या 4 सोहनलाल ने अपील का एकबाली जबाब पेश किया गया अपील के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया गया। जो सामिल पत्रावली किया गया।

उत्तरदाता संख्या 3 मगाराम, 5 मीरोदेवी ने अपील का एकबाली जबाब पेश किया गया अपील के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया गया। जो सामिल पत्रावली किया गया।

अपीलान्टगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में निवेदन किया कि अपील को स्वीकार कर अपीलान्टगण को न्याय दिलाया जाएं अपीलान्टगण न्याय से वंचित है।

उत्तरदाता संख्या 04 के अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया की अपील अपीलान्टगण की स्वीकार किया जाये तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को ध्यानपूर्व सुनते हुए इस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है:–

1. म्याद बिन्दु– अपीलान्टगण ने अपील के साथ एक म्याद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा एक अपील नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 को ग्राम पंचायत उड़ासर द्वारा पारित किया के विरुद्ध धारा 75 आर एल आर एक्ट के तहत पेश की गई उक्त अपील म्यूटेशन की जानकारी से अन्दर म्याद पेश की गई परंतु म्यूटेशन पारित होने की तिथि से म्याद से बाहर होने से विलम्ब के समन हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट गण के पूर्वज हरीगा को तथा हरीगा के फौत होने पर अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तकरण संख्या 58 का ज्ञान अपीलान्टगण को सर्वप्रथम अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट [illegible] की भूमि पर ऋण लोने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की [illegible] पटवारी ने जमाबन्दी रेख कर अपीलान्टगण का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त म्यूटेशन की नकले मांगी जो निकल दिनांक 23.06.2016 को प्राप्त होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्टगण को उक्त विधि विरूद्ध तरीके से पारित नामान्तकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिसके विरूद्ध यह पअील ज्ञान की तिथि से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। जानकारी प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी हुई इस प्रकार विधि विरुद्ध व शून्य आदेश को निरस्त करवाने हेतु विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम की निर्णय :– अपील में अपील के तथ्य में भारी भूल हैं इसलिए म्याद बिन्दु तकनीकि बिन्दु होने से तकनीकि बिन्दु के आधार पर किसी भी प्रकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि और विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा प्रकियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते हैं न कि स्वयं साध्य के रूप में।

अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8

8. **पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम.-** बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार हस्तांतरित होगी-

1. प्रथमतः, उत्तराधिकारियों पर, जो अनुसूची की श्रेणी I में विनिर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे;
2. दूसरे, यदि वर्ग I का कोई वारिस नहीं है, तो वारिस, अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे;
3. तीसरा, यदि दोनों वर्गों में से किसी का भी कोई उत्तराधिकारी न हो, तो मृतक के सगे संबंधियों पर; तथा
4. अंत में, यदि कोई सगोत्रीय न हो, तो मृतक के सजातीयों पर।

अनुसूची की श्रेणी I - पुत्र; पुत्री; विधवा; माता; पूर्व मृत पुत्र का पुत्र; पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्री का पुत्र; पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्र की विधवा; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

विधि व दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया :–

ग्राम – उड़ासर के नामान्तकरण संख्या 58 में खेराजराम पुत्र जगराम के वारिश का नामान्तकरण दायर करते समय रामू वलद खेराजराम एक ही वारिश बताया गया था जबकि ग्राम रोहिला के नामान्तकरण संख्या 38 के नामान्तकरण में खेराजराम पुत्र जगराम के वारिश रामू हरींगाराम पि0 खेराजराम बताया गया है। इस प्रकार अपीलान्टगण के पिता का नाम प्रश्नगत नामान्तकरण में छोड़ दिया गया।

Signature Not Verified

3. अपीलांटगण उदाराम वगैरह द्वारा अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जम्भशक्तिधाम पटवार मण्डल उड़ासर के खसरा संख्या 265 नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 ग्राम पंचायत उड़ासर की वादग्रस्त आराजी पैतृक–पुश्तैनी होने तथा

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार खेजराराम वल्द जगराम के अपीलान्टगण के पिता हरींगाराम वारिशान होने के बावजूद पिता खेराजराम के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 07 के पूर्वज रामूराम द्वारा अपने आप को वारिसान बताकर 1965 में ग्राम पंचायत उड़ासर एवं हल्का पटवारी उड़ासर द्वारा मृतक खेराजराम के वारिसान की जांच किए बिना 25.05.1965 को खेराजराम के विरासत का म्यूटेशन संख्या 58 स्वीकृत करवा कर, राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 07 के पूर्वज रामूराम द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया जबकि खेजरारमा के दो वारिश रामूराम व हरींगाराम हैं जो ग्राम रेहिला के नामानतकण संख्या 38 से प्रमाणित होता है। प्रश्नगत म्यूटेशन संख्या 58 गलत एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम–जम्भशक्तिधाम के खसरा संख्या 265 रकबा 13–01 बीघा के नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 विधि विरुद्ध होने तथा प्रकियागत त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त घोषित किया जाना तथा प्रश्नगत आरजी में उत्तरदाता संख्या 02 से 07 के साथ अपीलान्टगण का बराबर हिस्से का नामान्तकरण किया जाने उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं,।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम–1963, भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को माफ किया जाता है। पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम–जम्भशक्तिधाम के खसरा संख्या 265 रकबा 13–01 बीघा के नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.05.1965 विधि विरुद्ध होने तथा प्रकियागत त्रुटिपूर्ण होने से इसे निरस्त किया जाता है। तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिये जाते हैं कि उत्तरदाता संख्या 02 से 07 के साथ अपीलान्टगण का बराबर हिस्सा, नामान्तकरण किया जाये। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद किया जावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सर ईजलास सु...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:57 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner